बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal NO(S) 9482 of 2019 [@SLP (C) No. 12245 of 2017], डॉ॰ (मेजर) मीता सहाय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 17.12.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में वि.सं.– 15/2014 के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति के अन्तर्गत सफल घोषित 03 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक – 150542, 151490 एवं 154002 का परीक्षाफल

वि॰सं॰– 15/2014 के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति के अन्तर्गत सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग, बिहार को प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त विज्ञापन के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मूल आवेदन के साथ बिहार राज्य की परिसीमा में केन्द्र सरकार के अधीनस्थ संचालित अस्पतालों में प्राप्त अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर उसके आधार पर अंक का दावा किया गया था, परंतु चिकित्सा नियमावली में ऐसे अनुभव के लिए प्रावधान नहीं होने के आलोक में अंक आवंटित नहीं किये गये थे। वैसे ही अनुभव धारित करने वाली एक उम्मीदवार, डॉ॰ (मेजर) मीता सहाय द्वारा अनुभव के लिए अंक का दावा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 7323/2015 दायर किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2016 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध डॉ॰ (मेजर) मीता सहाय द्वारा LPA No. 1860/2016 दायर किया गया था जिसे भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.11.2016 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No. 1860/2016 में दिनांक 24.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध डॉ॰ (मेजर) मीता सहाय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर Civil Appeal NO(S) 9482 of 2019 [@SLP (C) No. 12245 of 2017] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.12.2019 को बिहार राज्य की परिसीमा में केन्द्र सरकार के अधीनस्थ संचालित अस्पतालों में अनुभव प्राप्त साक्षात्कार में शामिल उम्मीदवारों को वैसे अनुभव का लाभ प्रदान करने का आदेश पारित करते हुए वाद को Allow किया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वैसे अनुभव का दावा करनेवाले उम्मीदवारों से अपना अनुभव प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 23.06.2020 को सूचना प्रकाशित की गयी जिसके प्रत्युत्तर में वि॰सं॰ 15/2014 के अन्तर्गत साक्षात्कार में उपस्थित कुल 17 उम्मीदवारों (याचिकाकर्ता सहित) द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अनुभव का दावा किया गया। उक्त 17 उम्मीदवारों में से 04 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक 150542, 151490, 154002 एवं 155398 का अनुभव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत पाया गया।

उक्त 04 उम्मीदवारों को बिहार राज्य की परिसीमा में केन्द्र सरकार के अधीनस्थ संचालित अस्पतालों में प्राप्त अनुभव के लिए अंक जोड़े जाने के पश्चात 03 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक 150542, 151490 एवं 154002 का कुल प्राप्तांक उनकी सम्बन्धित कोटि के कट–ऑफ अंक से अधिक हो जाता है।

तदालोक में आयोग, 03 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक – 150542, प्रमोद कुमार, अनुक्रमांक – 151490, मीता सहाय एवं अनुक्रमांक – 154002, आशीष कुमार को वि.सं.– 15/2014 के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करता है।

29.12.21

तिथिः 29 दिसम्बर, 2021

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना